राजस्थान राज्य सूचना आयोग
झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12673/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर, बांसवाड़ा,राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं लोक सुचना अधिकारी स्वायत शासन विभाग शासन सचिवालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 06-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री घनश्याम व्यास, अधिवक्ता, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 29-3-17 के द्वारा माह मई, 2015 में प्रपत्र-3 के अनुसार अपीलीय अधिकारी के यहां दर्ज अपीलों के सम्बन्ध में गत माह के अन्त में लम्बित अपीलें, नई दर्ज अपीलें, स्वीकृत अपीलें एवं अस्वीकृत अपीलों आदि के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 15-1-18 से संसूचित कर दिया गया था कि अपीलार्थी द्वारा जिस प्रारुप-3 में सूचना चाही गई है, विभाग में संधारित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना वही देय है जो कि राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास संधारित है। राज्य लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी के चाहेअनुसार सूचना सृजित कर उपलब्ध करवाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 18-1-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा जिन बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है उसके अनुरुप प्रपत्र-3 में सूचना संधारित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उसी रुप में दी जा सकती है जिस रुप में प्रत्यर्थी के पास संधारित है एवं उसके नियंत्रणाधीन है।

8. राजस्थान सरकार, गृह (ग्रुप-5) विभाग के परिपत्र दिनांक 11-8-2006 के द्वारा अधिनियम के जन उपयोगी महत्व को देखते हुए अपेक्षा की गई थी कि प्राप्त होने वाले प्रकरणों की समीक्षा करने की दृष्टि से समय समय पर जानकारी चाही जा सकती है। अतः यह अपेक्षित है कि सूचना का अधिकार के लिए सृजित वेब-साइट पर प्रपत्र-3 के अनुसार सूचना का संधारण करने की व्यवस्था की जावे। प्रत्यर्थी द्वारा अभी तक भी प्रपत्र-3 के अनुसार सूचना का संधारण नहीं किया जा रहा है। अपीलार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया गया है। अतः प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के तहत प्रेषित विनिश्चय विधिसंगत है। परन्तु राज्य सरकार के उक्त परिपत्र के क्रम में प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त परिपत्र की पालना में शीघ्रातिशीघ्र अपने संसाधनों के अनुरुप

आवश्यक कार्यवाही करवाऐं जिससे कि सूचना चाहने वाले आवेदकों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रावधित समय सीमा में सूचना प्राप्त हो सके।

9. अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया जाना समीचीन है।

10. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

11. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त